आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department (Directorate of Social Security)

Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna

बिहार सरकार की यह पेंशन 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग निवासियों के लिए है। पेंशन हर महीने सीधे लाभार्थी के अपने बैंक खाते में भेजी जाती है।

क्या मिल सकता है

हर महीने 1,100 रुपये की पेंशन, जो DBT से लाभार्थी के अपने आधार सीडेड बैंक खाते में आती है। संयुक्त खाता मान्य नहीं है।

किसके लिए है

बिहार के 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के निवासी, जिन्हें पहले से कोई सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है।

मुख्य शर्तें

- आधार के अनुसार आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो।
- आप बिहार के निवासी हों।
- आपके पास वोटर आईडी (EPIC) कार्ड और आधार कार्ड हो। दोनों जरूरी हैं।
- आपके अपने नाम पर आधार से सीडेड बैंक खाता हो और DBT के लिए उसके उपयोग की सहमति दें।
- आपको सरकारी सेवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन या कोई दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिल रही हो।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड (फॉर्म के साथ इसकी कॉपी लगती है)
- वोटर आईडी (EPIC) कार्ड
- अपने नाम के आधार सीडेड बैंक खाते का विवरण
- बैंक और समाज कल्याण विभाग के लिए आधार सहमति पत्र

आवेदन कैसे करें

1. SSPMIS पोर्टल पर MVPY पंजीकरण पेज (Register for MVPY) खोलें।
2. आधार के अनुसार अपना जिला और प्रखंड चुनें, वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालें और EPIC विवरण सत्यापित करें।
3. आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि ठीक आधार के अनुसार भरें और आधार सत्यापित करें। आवेदन केवल आधार वाले नाम, जन्म तिथि और जिले के अनुसार ही स्वीकार होता है।
4. बाकी जानकारी, आधार सीडेड बैंक खाते समेत, भरकर जमा करें। पोर्टल पर Search Application Status से स्थिति देखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.sspmis.bihar.gov.in/aboutUs
आधिकारिक आवेदन: https://www.sspmis.bihar.gov.in/CheckMvpyAadharAuth
आधिकारिक PDF: https://www.sspmis.bihar.gov.in/MVPY_Scheme_Doc.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/bihar/br-vridhjan-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।